पत्रावली संख्या बी0पी0-III-267

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोष्ठ)

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ 0प्र0)

संख्या नोएडा/बी0सी0/बी0पी0-III-267/1079

दिनांकः 22/11/18

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश
सेवा में

M/s Aims Max Gardenia Pvt. Ltd.
जी0एच0-12, सेक्टर-75
नोएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद **श्री दीपक मेहता** काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर पंजीकरण संख्या **सी0ए0/87/10840** समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में भूखण्ड **संख्या-जी0एच0-12, सेक्टर-75, ईको सिटी, नोएडा** पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण /परिवर्तन/ गिराये जाने के काम का *संलग्न मानचित्र के अनुसार* प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह अधिभोग पत्र **दिनांक 14.11.18** को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा हैं। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड/ भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं *अथवा नोएडा विल्डिग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के विरूद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण* के विरूद्ध उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत *हटाने की* कार्यवाही आपेक्षित होगी। *भविष्य में भूखण्ड/ भवन में नोएडा विल्डिग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का आधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी/भू-स्वामी का होगा।*

भूखण्ड का क्षेत्रफल	**= 6366.00 वर्ग मी0**

भू-आच्छादन का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल	= 2228.00 वर्ग मी0(35%)
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल	= 1477.523 वर्ग मी0(23.66%)
निर्मित भू-आच्छादित क्षेत्रफल (टॉवर-A)	= 908.673 वर्ग मी0

एफ0ए0आर0 का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ0ए0आर0 @2.75	=17,506.50 वर्ग मी0
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ0ए0आर0	=16,860.187 वर्ग मी0
निर्मित एफ0ए0आर0(टॉवर-A)	=8454.864 वर्ग मी0
सम्पूर्ण योजना में शेष एफ0ए0आर0	=8,405.323 वर्ग मी0

ड्यूलिंग यूनिट का विवरण

कुल स्वीकृत ड्यूलिंग यूनिट्स =244 यूनिट्स
निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स =180 यूनिट्स

प्रतिबन्ध-

1. यह जारी किये जाने वाला अधिभोग प्रमाण पत्र ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सेटिव जोन निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र सं0-375 वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन हेतु पट्टाधारक/उप पट्टाधारक बाध्य होगें ।
2. नौएडा भवन विनियमावली-2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010, पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण/Real Estate Regulatory and Development Authority 2016 तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा ।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दर्शायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर/हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप/हरित क्षेत्र/खुला क्षेत्र/वृक्षारोपण, सीवेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा चन्यथा समापन मानचित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
5. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रेता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्ही अन्य कारणों से असहमति व्यक्त की जाती है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
6. फ्लैट स्वामियों व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही कराना सुनिश्चित करें । सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें ।
7. अग्निशमन विभाग से पुर्नरिक्षित अग्निशमन अनापत्ति पत्र एवं उ0प्र0 प्रदूषण विभाग से सी0टी0ओ0 प्राप्त कर पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर जमा कराना होगा ।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र ।

Completion Drawing is as per Bye Laws submitted for approval Please

Asstt. Asstt. Architect 22/11

भवदीय
नाम ....
पद ....
नोएडा

प्रतिलिपिः महा प्रबन्धक(ग्रुप हाऊसिंग) को सूचनार्थ ।